भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2002
दिनांक 11 मार्च, 2025/ 20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी)

†2002. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तरी सीमा पर गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) वर्ष 2023 में शुरु किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी शुरुआत के पश्चात् से प्रत्येक वर्ष आवंटित निधि की कुल राशि क्या है;

(घ) प्रत्येक वर्ष के दौरान उपयोग की गई कुल निधि कितनी है; और

(ङ) उन वर्षों के दौरान आवंटित निधि का उपयोग न होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों की उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए 15 फरवरी, 2023 को केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) को स्वीकृति दी है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारंभ में 662 सीमावर्ती गांवों की प्राथमिकता पर व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है।

वीवीपी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में क्रमश: 150 करोड़ रुपये और 209 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी होने के कारण राज्य/केंद्र शासित प्रदेश निधियों के उपयोग के लिए उत्तरदायी हैं।

****